इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2017—आषाढ़ 30, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्र. 17567-वि.स.-विधान-2017.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २० सन् २०१७

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) विधेयक, २०१७

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१७ है.

वित्तीयवर्ष२०१७-२०१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ५०,५९,४५,९७,४०० का दिया जाना. **२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये पांच हजार उनसठ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तानवे हजार चार सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.**

विनियोग. **३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.**

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	१०,३७,५०,०००	**९२,५०,०००**	११,३०,००,०००
		पूंजी	३,६५,७६,०००	०	३,६५,७६,०००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	५,३६,९५,४००	०	५,३६,९५,४००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	१२,१२,७९,०००	०	१२,१२,७९,०००
०६.	वित्त				
		राजस्व	१०,००,६००	०	१०,००,६००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	१०,९००	**१००**	११,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
१०.	वन				
		राजस्व	१०,०५,५८,०००	०	१०,०५,५८,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	८,०५,००,००,०००	०	८,०५,००,००,०००
		पूंजी	१००	०	१००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	४०,००,०१,३००	०	४०,००,०१,३००
१४.	पशुपालन				
		राजस्व	२९,४५,८३,०००	०	२९,४५,८३,०००
		पूंजी	८०,००,०००	०	८०,००,०००
१७.	सहकारिता				
		राजस्व	५,८०,००,००,०००	०	५,८०,००,००,०००
१८.	श्रम				
		राजस्व	१,०७,४०,५००	०	१,०७,४०,५००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन				
		राजस्व	२,५०,००,०००	०	२,५०,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण				
		राजस्व	५,५९,०५,००,४००	०	५,५९,०५,००,४००
		पूंजी	८,२८,२३,००,०००	०	८,२८,२३,००,०००
२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	१,४००	०	१,४००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		पूंजी	७,४००	०	७,४००
२५.	खनिज साधन				
		पूंजी	१००	०	१००
२८.	राज्य विधान मंडल				
		राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	२३,२९,००,०००	**६,००,००,१००**	२९,२९,००,१००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	९५,००,०००	०	९५,००,०००
		पूंजी	२०,७०,५५,६००	०	२०,७०,५५,६००
३३.	आदिम जाति कल्याण				
		राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम				
		पूंजी	१,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००
३७.	पर्यटन				
		राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३८.	आयुष				
		राजस्व	४,८९,८३,०००	०	४,८९,८३,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	१,३१,८५,१००	०	१,३१,८५,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण				
		राजस्व	७००	०	७००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	६००	०	६००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	२,००,००,००,१००	०	२,००,००,००,१००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	५०,००,००,१००	०	५०,००,००,१००
५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	६६,६०,५१,०००	०	६६,६०,५१,०००
		पूंजी	४५,००,००,०००	०	४५,००,००,०००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१२,७३,००,००,०००	०	१२,७३,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	६६,५२,२३,०००	०	६६,५२,२३,०००
५६.	ग्रामोद्योग				
		राजस्व	७,५०,०००	०	७,५०,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय				
		पूंजी	७७,२५,४१,५००	०	७७,२५,४१,५००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	१०,८०,००,०००	०	१०,८०,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		राजस्व	३०,००,००,०००	०	३०,००,००,०००
		पूंजी	६८,८१,५२,३००	०	६८,८१,५२,३००
	योग :	**राजस्व** :	३५,९८,०७,१२,१००	**६,९२,५०,२००**	३६,०४,९९,६२,३००
		पूंजी :	१४,५४,४६,३५,१००	०	१४,५४,४६,३५,१००
		वृहद-योग :	५०,५२,५३,४७,२००	**६,९२,५०,२००**	५०,५९,४५,९७,४००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १९ जुलाई, २०१७.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.